मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः 27.11.2023

अनुमानित कीमत ₹ 15 लाख के अवैध गांजा तथा तस्करी में प्रयुक्त स्कोडा सुपर बी कार के साथ 02 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 62 कि.ग्रा. गांजा बरामद, —

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "अभिनन्दन" द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0देहात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांकः 26.11.2023 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक राणा प्रताप यादव थाना को0देहात मय पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा थाना को0देहात क्षेत्रांतर्गत बरकछा से 01 कार में सवार 02 नफर अभियुक्तों , 1. साकिर त्यागी पुत्र मुनफेर निवासी मुस्तफाबाद लोनी देहात थाना लोनी जनपद गाजियाबाद व 2. शशि भूषण भाष्कर जयसवाल पुत्र जीत नरायन जयसवाल निवासी ग्राम तौलकपुर थाना रामपुर खारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से स्कोडा सुपर बी कार में रखे 08 बण्डल में कुल 62.400 किग्रा अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0स0-286/2023 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0न्यायालय/जेल भेजते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा गांजा परिवहन में प्रयुक्त वाहन स्कोडा सुपर बी कार (वाहन संख्याः UP 14 BQ 4066) को 207 एम.वी. एक्ट में भी सीज किया गया।

विवरण पूछताछ —

पकड़े गये अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग उड़ीसा से गांजा लेकर गाजियाबाद व अन्य आसपास के जनपदों में लाकर भण्डारण कर आवश्यकता के अनुसार जगह-जगह बेचा करते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. साकिर त्यागी पुत्र मुनफेर निवासी मुस्तफाबाद लोनी देहात थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 24 वर्ष।
2. शशि भूषण भाष्कर जायसवाल पुत्र जीत नरायन जायसवाल निवासी ग्राम तौलकपुर थाना रामपुर खारखाना जनपद देवरिया उम्र लगभग 43 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 286/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट।

आपराधिक इतिहास (शशि भूषण भाष्कर जायसवाल)-

1. मु0अ0सं0- 487/2018 धारा- 20/8 NDPS एक्ट थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद।
2. मु0अ0सं0- 609/2017 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद।
3. मु0अ0सं0- 1396/2020 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद।
4. मु0अ0सं0- 1689/2018 धारा- 20/8 NDPS एक्ट थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद।
5. मु0अ0सं0- 1971/2019 धारा- 272 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम थाना कवि नगर जनपद गाजियाबाद।
6. मु0अ0सं0- 246/2012 धारा- 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बादलपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर।

बरामदगी विवरण —

- 62.400 किग्रा अवैध गांजा।
- स्कोडा सुपर बी कार(वाहन संख्याः UP 14 BQ 4066)
- 02 अदद मोबाइल व 5200 रूपये नगद।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक थाना को0देहात राणा प्रताप यादव मय पुलिस टीम।
उप निरीक्षक संजय सिंह प्रभारी एसओजी मय पुलिस टीम।

मीरजापुर